

अज अदालत श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस. ,  
बइजलास: उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्झुनू (राजस्थान)

मणी देवी बनाम मोहर सिंह वगै०  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० ०८/२०२१

दिनांक - 20.06.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम पिलोद तहसील सूरजगढ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 265 रकबा 4.54 है०, भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.06.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकारं घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिकी मुर्तिब हो।

यह आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ  
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-08/2021  
मणी देवी बनाम मोहर सिंह वगै०  
निर्णय दिनांक:- 20.06.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)


मु०नं० 08/2021  
निर्णय दिनांक:- 20.06.2025

मणी देवी बनाम मोहर सिंह वगै०  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 20.06.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥  
उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता  
है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि  
मौजा ग्राम पिलोद तहसील सूरजगढ की सरहद में स्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 265 रकबा  
4.54 है०, भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.06.2024 में अंकितानुसार  
अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित  
किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें  
एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर  
के पक्ष में दर्ज किया जावे। । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

  
(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ